निर्णय (1) R.C.T. No. 529/2022

STATE OF M.P. Vs BHOLARAM S/O MANGILAL

न्यायालय : शिवम सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, महिदपुर, जिला उज्जैन (म0प्र0)

(निर्णय दिनांक 11.03.2025)

Criminal Case No.932/2022
Registration No./RCT/529/2022
Filing No. /RCT/1297/2022
CNR No. MP1309-001634-2022
Filling Date 17-10-2022

प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध और पुलिस थाने का विवरण
आरक्षी केन्द्र महिदपुर रोड, जिला उज्जैन (म.प्र.) के अपराध क्रमांक 186/2022 अंतर्गत धारा 498–ए, 294, 323, 506 (भाग–2), 34 भा.दं.सं से उद्भूत आपराधिक प्रकरण

अभियोगी — मध्य प्रदेश राज्य द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना महिदपुर रोड, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन (म0प्र0)

प्रतिनिधित्व द्वारा — श्री देवेंद्र जोशी, ए.डी.पी.ओ।

::::–वि रु द्ध–::::

अभियुक्त

1. भोलाराम पिता मांगीलाल, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम झुठावद, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन (म0प्र0)
2. जुझारलाल पिता कानाजी, उम्र 58 वर्ष, निवासी झुठावद, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन (म0प्र0)
3. मांगीलाल पिता कानाजी, उम्र–48 वर्ष, निवासी झुठावद, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन (म0प्र0)
4. भूलीबाई पति मांगीलाल, उम्र–45 वर्ष, निवासी ग्राम झुठावद, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन (म0प्र0)

प्रतिनिधित्व द्वारा — श्री संजय व्यास, अधिवक्ता।

11/03/2025
(शिवम सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
महिदपुर जिला-उज्जैन (म.प्र.)

अपराध की तारीख	23/09/2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	25/09/2022
आरोप पत्र की तारीख	17/10/2022
आरोप विरचित करने की तारीख	27/01/2025
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तारीख	27/01/2025
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	11/03/2025
निर्णय की तारीख	11/03/2025
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तारीख	—

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध अवधि
01	भोलाराम पिता मांगीलाल	धारा 41—क दं.प्र.सं. का सूचना पत्र	17.10.2022	धारा 498—ए सहपठित धारा 34, 294, 323 सहपठित धारा 34, 506 (भाग—2)	दोषमुक्त	—	निरंक
02	भूलीबाई पति	धारा 41—क	17.10.2022	धारा 498—ए	दोषमुक्त	—	निरंक

11/03/2025
(शिवम सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी।
महिदपुर जिला-उज्जैन (म.प्र.)

	मांगीलाल	दं.प्र.सं. का सूचना पत्र		सहपठित धारा 34, 294, 323 सहपठित धारा 34, 506 (भाग–2)			
03	मांगीलाल पिता कानाजी	धारा 41–क दं.प्र.सं. का सूचना पत्र	17.10.2022	धारा 498–ए सहपठित धारा 34, 294, 323 सहपठित धारा 34, 506 (भाग–2)	दोषमुक्त	–	निरंक
04	जुझारलाल पिता कानाजी	धारा 41–क दं.प्र.सं. का सूचना पत्र	17.10.2022	धारा 498–ए सहपठित धारा 34, 294, 323 सहपठित धारा 34, 506 (भाग–2)	दोषमुक्त	–	निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा. 1	प्रियंका	फरियादी साक्षी
अ.सा. 2	मोहनलाल	तलाश एवं जप्ती साक्षी

11/03/2025
(शिवम सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
महिदपुर जिला-उज्जैन (म.प्र.)

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हों :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निरंक	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हों :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निरंक	निरंक	निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन

स.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्रदर्श पी 1/अ0सा0 1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी 2/अ0सा0 1	घटनास्थल का नक्शामौका
03	प्रदर्श पी 3/अ0सा0 1	साक्षी प्रियंका उर्फ पिंकी अ0सा0 1 के पुलिस कथन
04	प्रदर्श पी 4/अ0सा0 2	साक्षी मोहनलाल अ0सा0 2 के पुलिस कथन

ख. प्रतिरक्षा :

स.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निरंक	निरंक	निरंक

11/08/2025
(शिवम सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
महिदपुर जिला-उज्जैन (म.प्र.)

ग. न्यायालयीन प्रदर्श :

स.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निरंक	निरंक	निरंक

घ. आवश्यक वस्तुएं

स.क.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
निरंक	निरंक	निरंक

—:::— नि र्ण य —:::—

(आज दिनांक 11.03.2025 को घोषित)

01— अभियुक्त पर धारा 498—ए, 294, 323 सहपठित धारा 34, 506 (भाग—2) के अंतर्गत आरोप हैं कि अभियुक्तगण ने दिनांक 23.09.2022 को समय 09:00 बजे स्थान फरियादिया का ससुराल झुठावद, जिला उज्जैन में फरियादी प्रियंका का पति एवं रिश्तेदार होते हुए, शादी के बाद से लगातार दहेज की मांग की पूर्ति के लिए सामान्य आशय निर्मित किया और उस सामान्य आशय के अग्रसरण में उससे दहेज की मांग के संबंध में उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर उसके साथ कूरता की तथा उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी प्रियंका को मां बहन की अश्लील गालियां देकर अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे अथवा सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी प्रियंका के साथ मारपीट करने का अन्य अभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में उनके साथ मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की तथा उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अन्य अभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में फरियादी प्रियंका को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया ग्राम झुठावद

11/03/2025
(शिल्पा सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
महिदपुर जिला-उज्जैन (म.प्र.)

में रहती है तथा घरेलू कार्य करती है। उसकी शादी करीब 5 वर्ष पूर्व ग्राम झुठावद के भोलाराम पिता मांगीलाल माली के साथ हिंदू रीतिरिवाज के अनुसार हुई है। शादी के समय उसके पिता ने उसकी हैसियत के अनुसार दहेज का सामान उसके ससुराल वालों को दिया था विवाह के एक डेढ वर्ष तक उसके पति व उसके परिवारजनों के द्वारा उसे अच्छा रखा गया उसके बाद उसके पति भोलाराम, उसके ससुर मांगीलाल, उसकी सास भूलीबाई सभी उसके बडे ससुर झुझारलाल पिता कानाजी निवासीगण ग्राम झुठावद की सिखावट में आकर सभी आरोपीगण उसे दहेज के लिए प्रताडित करने लगे कि तेरे पिताजी ने दहेज में कुछ नहीं दिया है जबकि उसके पिता ने शादी के समय सारा घरेलू सामान दिया था किंतु आरोपीगण लालची किस्म के व्यक्ति होकर उससे लडाई झगता करते हैं।

03— अभियेाजन कहानी आगे संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.09.2022 को सुबह करीब 09 बजे उसका बडा ससुर झुझारलाल और उसकी सास भूलीबाई बोली कि तू तेरे पिताजी के घर से मोटरसाइकिल व दो लाख रूपये लेकर आ नहीं तो हम हमारे लडके भोलाराम की दूसरी शादी करवा देंगे और उसे मां बहन की नंगी नंगी गालियां देने लगे उसने गालियां देने से मना किया तो दोनों ने उसके साथ हाथ मुक्कों से मारपीट की फिर वहां उसका पति भोलाराम व ससुर मांगीलाल भी आ गये वो दोनों भी उसके साथ गाली गुप्ता करने लगे जाते जाते बोल रहे थे कि तेरे पिताजी के यंहा सं मोटरसाइकिल व दो लाख रूपये लेकर नहीं आई तो जान से खत्म कर देंगे फिर उसने उसके पिताजी मोहनलाल को फोन लगाकर घटना बताई जिनको साथ लेकर थाने पर रिपोर्ट करने गई।

04— अभियेाजन कहानी आगे संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया की उक्त आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 498ए, 323, 294, 506, 34 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध कमांक 186/2022 पर दर्ज की गई। अनुसंधान प्रारंभ किया गया। घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। साक्षीगण के कथन लेख किए गए एवं अभियुक्तगण को धारा 41—क दंप्रसं का सूचना पत्र दिया गया। जांच उपरांत अनुसंधान पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

11/03/2025
(शिवम सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
महिदपुर जिला-उज्जैन (म.प्र.)

05— अभियुक्तगण को आरोप पढकर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा। अभियुक्तगण का अभिवाक् लेखबद्ध किया गया। अभियुक्तगण को धारा 313 दंप्रसं 1973 के अंतर्गत परीक्षित नहीं किया गया है। अभियुक्तगण ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया है।

06— प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न है—

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 23.09.2022 को समय 09:00 बजे स्थान फरियादिया का ससुराल झुठावद, जिला उज्जैन में फरियादी प्रियंका का पति एवं रिश्तेदार होते हुए, शादी के बाद से लगातार दहेज की मांग की पूर्ति के लिए सामान्य आशय निर्मित किया और उस सामान्य आशय के अग्रसरण में उससे दहेज की मांग के संबंध में उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर उसके साथ कूरता की?

2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी प्रियंका को मां बहन की अश्लील गालियां देकर अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे अथवा सुनने वालों को क्षोभ कारित किया?

3. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी प्रियंका के साथ मारपीट करने का अन्य अभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में उनके साथ मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की?

4. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अन्य अभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में फरियादी प्रियंका को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

5. दोषसिद्धि या दण्डादेश यदि कोई हो तो?

::::—स का र ण नि ष्क र्ष—::::

विचारणीय प्रश्न कमांक 1 लगायत 4:—

11/03/2025
(शिवम सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
महिदपुर जिला-उज्जैन (म.प्र.)

07— तथ्य एवं साक्ष्यों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु विचारणीय प्रश्न 1 लगायत 4 का एक साथ निराकरण किया जा रहा है। उक्त विचारणीय प्रश्नों को साबित करने का भार अभियोजन के उपर है। उक्त विचारणीय प्रश्नों को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से साक्षी क0 1 प्रियंका, साक्षी कमांक 2 मोहनलाल के कथन कराए हैं। अभियोजन साक्षी कमांक 1 प्रियंका ने अपने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि वह न्यायालय में हाजिर आरोपीगण को पहचानती है, आरोपी भोलाराम उसका पति है। जुझारलाल उसके बडे ससुर हैं, मांगीलाल उसके ससुर हैं व भूलीबाई उसकी सास है। उसकी शादी हुए सात साल से अधिक का समय हो गया है। उसके व उसके पति व सास ससुर के बीच में कोई भी झगडा नहीं हुआ था। उसकी शादी को सात साल हो गये हैं लेकिन उनके बीच में कभी भी थाने पर कोई बात नहीं हुई है। आरोपीगण ने उसके साथ कोई भी घटना नहीं की है। उसके व परिवारजनों में छोटी मोटी बोलचाल हो गयी थी इसीलिए वह थाने चली गई थी। प्रदर्श पी 1 प्रथम सूचना रिपोर्ट के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं व प्रदर्श पी 2 के घटनास्थल के नक्शामौका पर भी ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी न ही उसके बयान लिए थे।

08— अभियोजन द्वारा धारा 154 के अतंर्गत सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी को उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी 3 का ए से ए भाग'' कि मेरी शादी वर्ष 2016 में मेरे माता पिता ने हिंदू रीतिरिवाज के अनुसार ग्राम झुटावद के भोलाराम पिता मांगीलाल के साथ हुई थी। शादी के समय मेरे पिता ने उनकी हैसियत के अनुसार दहेज का सामान मेरी ससुराल वालों को दिया था विवाह के एक डेढ वर्ष तक मेरे पति व उनके परिवारजन द्वारा मुझे अच्छे से रखा गया मेरी एक लडकी दो वर्ष की है जिसका नाम हर्षिता है। जिसके बाद से मेरे पति भोलाराम, ससुर मांगीलाल, सास भूलीबाई व बडे ससुर जुझारलाल की सिखावट में आकर सभी लोग मुझे दहेज के लिए प्रताडित करने लगे तेरे पिताजी ने दहेज में कुछ नहीं दिया है जबकि मेरे पिता ने शादी के समय सारा घरेलू सामान दिया था किंतु उक्त आरोपीगण लालची किस्म के व्यक्ति होकर मुझसे लडाई झगडा करते हैं ऐसे कथन उसने पुलिस को नहीं दिए थे।

11/03/2025
(शिवम सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
महिदपुर जिला-उज्जैन (म.प्र.)

09— आगे कथन इस प्रकार है कि उसने पुलिस को यह भी नहीं बताया था कि दिनांक 23.09.2022 को सुबह करीब नौ बजे बडा ससुर जुझारलाल, सास भूलीबाई बोली कि तू तेरे पिजाती के घर से मोटरसाइकिल व दो लाख रूपये लेकर आ नहीं तो हम हमारे लडके भोलाराम की दूसरी शादी करवा देंगे और उसे मां बहन की नंगी नंगी गालियां देने लगे उसने गालियां देने से मना किया तो दोनों ने हाथ मुक्कों से उसके साथ मारपीट की। फिर वहां उसका पति भोलाराम व ससुर मांगीलाल भी आ गए जिन्होंने उसके साथ गाली गुप्ता करने लगे व सभी बोल रहे थे कि उसके पिताजी के यहां से मोटरसाइकिल व दो लाख रूपये लेकर नहीं आई तो जान से खत्म कर देंगे। अपने प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि प्रदर्श पी 1, 2 व 3 पर पुलिस ने उसके कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाए थे। यह भी स्वीकार किया कि आरोपीगण ने उसके साथ कोई घटना की और न ही आरोपीगण उसे प्रताडित करते हैं। यह भी स्वीकार किया कि आरोपीगण उसे कोई गंदी गालियां नहीं देते हैं। यह भी स्वीकार किया कि उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी।

10— अभियोजन साक्षी कमांक 2 मोहनलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया कि वह न्यायालय में हाजिर आरोपीगण को पहचानता है, आरोपी भोलाराम उसकी बेटी का पति है। जुझारलाल उसकी बेटी के बडे ससुर हैं। मांगीलाल उसकी बेटी के ससुर हैं व भूलीबाई उसकी बेटी की सास हैं। उसकी बेटी शादी हुए सात साल से अधिक का समय हो गया है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसकी पुत्री ने कभी भी दहेज मांगने व प्रताडित किए जाने के संबंध में कोई भी बात उसे कभी भी नहीं बताई। उसकी बेटी की शादी को सात साल हो गये हैं परिवार में छोटी मोटी बोलचाल होती रहती है। आरोपीगण ने उसकी बेटी के साथ कोई भी घटना नहीं की है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी न ही उसके कोई बयान लिए थें।

11— साक्षी को उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी 4 का ए से ए भाग" कि मेरी बेटी की शादी वर्ष 2016 में हिंदू रीतिरिवाज के अनुसार ग्राम झुटावद के भोलाराम पिता मांगीलाल के साथ हुई थी। शादी के समय मैंने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज

11/03/2025
(शिवम सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
महिदपुर जिला-उज्जैन (म.प्र.)

का सामान मेरी बेटी के ससुराल वालों को दिया था विवाह के एक डेढ वर्ष तक मेरी बेटी के पति व उनके परिवारजन द्वारा उसे अच्छे से रखा गया मेरी बेटी की एक लकडी दो वर्ष की है जिसका नाम हर्षिता है। जिसके बाद से मेरी बेटी के पति भोलाराम, बेटी के ससुर मांगीलाल, सास भूलीबाई व बडे ससुर जुझारलाल की सिखावट में आकर सभी लोग उसे दहेज के लिए प्रताडित करने लगे। जबकि मैंने शादी के समय सारा घरेलू सामान दिया था किंतु उक्त आरोपीगण लालची किस्म के व्यक्ति होकर उससे लडाई झगडा करते हैं'' ऐसे कथन मैंने पुलिस को नहीं दिए थे।

12— उसने पुलिस को यह भी नहीं बताया था कि दिनांक 23.09.2022 को सुबह करीब दस बजे मेरी बेटी के बडे ससुर जुझारलाल, सास भूलीबाई मेरी बेटी को बोली कि तू तेरे पिजाती के घर से मोटरसाइकिल व दो लाख रूपये लेकर आ नहीं तो हम हमारे लडके भोलाराम की दूसरी शादी करवा देंगे और उसे मां बहन की नंगी नंगी गालियां देने लगे उसने गालियां देने से मना किया तो दोनों ने हाथ मुक्कों से उसके साथ मारपीट की। फिर वहां उसका पति भोलाराम व ससुर मांगीलाल भी आ गए जिन्होंने उसके साथ गाली गुप्ता करने लगे व सभी बोल रहे थे कि तेरे पिताजी के यहां से मोटरसाइकिल व दो लाख रूपये लेकर नहीं आई तो जान से खत्म कर देंगे।

13— अभिलेख पर उपस्थित संपूर्ण साक्ष्य का अवलोकन किया गया।

14— अभिलेख पर उपस्थित संपूर्ण साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रकरण में स्वयं फरियादी/आहत अ0सा0 1 ने अपने कथनों में यह व्यक्त किया है कि उसके व उसके पति के बीच शादी हुए सात वर्ष से अधिक का समय हो चुका है किंतु उनके बीच थाने पर आज तक कोई बात नहीं हुई। अ0सा0 1 ने भी यह स्वीकार किया कि उसके व उसके पति व उसके सास ससुर के बीच कोई झगडा नहीं हुआ था। साक्षी ने आरोपी द्वारा उसके साथ घटना होने से भी इनकार किया है।

11/03/2025
(शिवम साना)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
महिदपुर जिला-उज्जैन (म.प्र.)

15— प्रकरण में अ0सा0 2 ने अपने कथनों में व्यक्त किया है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी अ0सा0 2 ने भी यह स्वीकार किया है कि उसकी बेटी की शादी हुए सात से अधिक का समय हो चुका है उसकी बेटी ने आरोपी के द्वारा उसके साथ दहेज मांगने व उसे प्रताडित करने के संबंध में कभी कोई बात नहीं बताई है।

16— प्रकरण में भादंसं की धारा 498ए के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए यह आवश्यक है कि आरोपी के द्वारा आहत के साथ जानबूझकर ऐसा कोई आचरण किया गया हो जो ऐसी प्रकृति का हो जो उस स्त्री को आत्म हत्या करने के लिए प्रेरित करे या जिससे उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (चाहे मानसिंक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना हो या किसी स्त्री को इस कारण तंग करने की उसको या उसके नातेदार का किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रपीडित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा हो।

17— चूंकि प्रकरण में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो भादंसं की धारा 498ए के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए आवश्यक घटकों को प्रमाणित करता हो क्योंकि प्रकरण में स्वयं फरियादी अ0सा0 1 ने यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था कि उसके व आरोपीगण के मध्य कोई झगडा नहीं हुआ था व उसकी व आरोपी के मध्य शादी हुए सात साल से अधिक हो गए हैं किंतु उनके बीच थाने पर आज तक कोई बात नहीं हुई है। वहीं अभियेाजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी का कहना है कि उसने ऐसे कथन पुलिस को नहीं दिए थे कि विवाह के डेढ वर्ष तक मेरे पति व उनके परिवारजनों द्वारा मुझे अच्छे से रखा गया इसके बाद से पति भोलाराम ने मांगीलाल, भूलीबाई, जुझारलाल की सिखावट में आकर सभी लोग उसे दहेज के लिए प्रताडित करने लगे। वहीं प्रतिपरीक्षण में अ0सा0 1 का यह स्वीकार करना कि उसने थाने पर प्रदर्श पी 1, 2, 3 के कोरे कागज पर हस्ताक्षर किए थे व साक्षी का यह भी स्वीकार करना कि आरोपी ने उसके साथ कोई घटना नहीं की है न ही आरोपीगण उसे प्रताडित करते हैं।

11/03/2025
(शिवम सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
महिदपुर जिला-उज्जैन (म.प्र.)

18— वहीं अ0सा0 2 ने भी यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है व उसकी पुत्री ने आरोपीगण द्वारा उससे दहेज मांगने व प्रताडित किए जाने के संबंध में कोई भी बात उसे कभी भी नहीं बताई है। वहीं साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी का कहना है कि उसने ऐसे कथन पुलिस को नहीं दिए थे कि आरोपीगण उसकी बेटी को दहेज के लिए प्रताडित करते हैं। वहीं प्रतिपरीक्षण में अ0सा0 2 का यह स्वीकार करना कि आरोपीगण उसकी बेटी को दहेज के लिए प्रताडित नहीं करते हैं।

19— प्रकरण में दोनों ही साक्षीगण की साक्ष्य में भादंसं की धारा 498ए के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए आरोपीगण के विरूद्ध कोई भी साक्ष्य नहीं आया है। वहीं दोनों ही साक्षीगण ने आरोपी द्वारा प्रियंका को दहेज के लिए प्रताडित करने से इनकार भी किया है।

20— प्रकरण में धारा 294 भादंसं. के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए यह आवश्यक है कि आरोपी ने सार्वजनिक स्थान पर अश्लील शब्द बोले हों या गालियां दी हों जिससे सुनने वाले को बुरी लगी हों या क्षोभ कारित हुआ हो किंतु अ0सा0 1 अ0सा0 2 ने गाली देने के संबंध में कोई भी साक्ष्य नहीं दी है। इस प्रकार आरोपीगण के विरूद्ध धारा 296 भा.न.सं. के संबंध में कुछ भी साक्ष्य नहीं आया है।

21— प्रकरण में धारा 323 भादंसं के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए आवश्यक है कि आरोपी ने आहतगण के साथ स्वेच्छया से मारपीट की हो एवं उक्त मारपीट के कारण आहतगण को चोटें आई हों। चूंकि प्रकरण में दोनों ही साक्षीगण अ0सा0 1 प्रियंका व अ0सा0 2 विनोद ने प्रियंका के साथ मारपीट किए जाने से इनकार किया है वहीं उनका तो यह कहना है कि आरोपीगण ने उसकी बेटी प्रियंका के साथ कोई घ टना नहीं की है वहीं अ0सा0 1 ने भी यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी।

22— प्रकरण में धारा 506 भाग—2 भादंसं के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए आवश्यक है कि आरोपीगण ने आहत को यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहति कारित करने की या अग्नि द्वारा किसी संपत्ति का नाश करने की या मृत्युदंड से या आजीवन

11/03/2025
(शिवम सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
महिदपुर जिला—उज्जैन (म.प्र.)

कारावास से या सात वर्ष की अवधि तक के कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने की या किसी स्त्री पर अस्तित्व का लांछन लगाने का हो। चूंकि प्रकरण में दोनों ही साक्षीगण अ0सा0 1 प्रियंका व अ0सा0 2 विनोद ने आरोपीगण द्वारा धमकी दिए जाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी है। वहीं अभियोजन द्वारा साक्षीगण से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षीगण ने इस बात से इनकार किया कि आरोपीगण ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी।

23— प्रतिपरीक्षण में भी साक्षी अ0सा0 1 साक्षीगण ने यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि पुलिस ने प्रदर्श पी 1 व 2 व 3 के कोरे कागज पर उनके हस्ताक्षर कराये थे चूंकि दोनों ही साक्षीगण ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है ना ही प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन किया है एवं आरोपीगण द्वारा अपराध किये जाने के संबंध में स्पष्ट रूप से इनकार किया है। चूंकि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षियों की साक्ष्य में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आया है जिससे यह दर्शित हो सके कि अभियुक्तगण ने दिनांक 23.09.2022 को समय 09:00 बजे स्थान फरियादिया का ससुराल झुठावद, जिला उज्जैन में फरियादी प्रियंका का पति एवं रिश्तेदार होते हुए, शादी के बाद से लगातार दहेज की मांग की पूर्ति के लिए सामान्य आशय निर्मित किया और उस सामान्य आशय के अग्रसरण में उससे दहेज की मांग के संबंध में उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर उसके साथ क्रूरता की।

24— प्रकरण में ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं आया है कि जिससे दर्शित हो सके कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी प्रियंका को मां बहन की अश्लील गालियां देकर अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे अथवा सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी प्रियंका के साथ मारपीट करने का अन्य अभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में उनके साथ मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की तथा उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अन्य अभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में फरियादी प्रियंका को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार विचारणीय

11/03/2025
(शिवम सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
महिदपुर जिला-उज्जैन (म.प्र.)

प्रश्न कमांक 1, 2, 3, 4 का निष्कर्ष ना साबित के रूप में दिया जाता है।

::::–अंतिम आदेश–::::

25– उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण भोलाराम, जुझारलाल, मांगीलाल, भूलीबाई ने दिनांक 23.09.2022 को समय 09:00 बजे स्थान फरियादिया का ससुराल झुठावद, जिला उज्जैन में फरियादी प्रियंका का पति एवं रिश्तेदार होते हुए, शादी के बाद से लगातार दहेज की मांग की पूर्ति के लिए सामान्य आशय निर्मित किया और उस सामान्य आशय के अग्रसरण में उससे दहेज की मांग के संबंध में उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर उसके साथ क्रूरता की तथा उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी प्रियंका को मां बहन की अश्लील गालियां देकर अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे अथवा सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी प्रियंका के साथ मारपीट करने का अन्य अभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में उनके साथ मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की तथा उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अन्य अभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में फरियादी प्रियंका को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया। **फलतः 1. अभियुक्त भोलाराम पिता मांगीलाल, वर्तमान आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम झुठावद, तहसील महिदपुर जिला उज्जैन म.प्र., 2. अभियुक्त जुझारलाल पिता कानाजी, वर्तमान आयु लगभग 58 वर्ष, निवासी ग्राम झुठावद, तहसील महिदपुर जिला उज्जैन म.प्र. 3. अभियुक्त मांगीलाल पिता कानाजी, वर्तमान आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी ग्राम झुठावद, तहसील महिदपुर जिला उज्जैन म.प्र. 4. अभियुक्त भूलीबाई पति मांगीलाल, वर्तमान आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी ग्राम झुठावद, तहसील महिदपुर जिला उज्जैन म.प्र. को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 498–ए, 294, 323 सहपठित धारा 34, 506 भाग–2 के अपराध के आरोप में सिद्धदोष न पाते हुए दोषमुक्त कर स्वतंत्र घोषित**

11/03/2025
(शिवम सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
महिदपुर जिला–उज्जैन (म.प्र.)

किया जाता है।

26— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक शादी पत्रिका एवं एक शादी की रंगीन फोटो मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति का निराकरण किया जावे।

27— अभियुक्तगण अन्वेषण, जांच व विचारण के दौरान एक भी दिवस अभिरक्षा में नहीं रहे हैं। अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 428 का प्रमाण पत्र अवधि निरंक कर बनाया जावे।

28— प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा उपस्थिति हेतु प्रस्तुत प्रतिभूति एवं व्यक्तिगत बंध पत्र भारमुक्त किए जाते हैं।

29— अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत व्यक्तिगत बंधपत्र अंतर्गत धारा 437—ए दं.प्र.सं. आगामी 6 छः माह तक प्रभावशाली रहेगी तदोपरांत स्वतः भारमुक्त समझा जावे।

स्थान – महिदपुर

दिनांक – 11.03.2025

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

11/03/2025

(शिवम सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
महिदपुर, जिला उज्जैन (म.प्र.)

(शिवम सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
महिदपुर जिला-उज्जैन (म.प्र.)

मेरे निर्देश पर टंकित एवं मुद्रित किया गया।

11/03/2025

(शिवम सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
महिदपुर, जिला उज्जैन (म.प्र.)

(शिवम सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
महिदपुर जिला-उज्जैन (म.प्र.)